| राजस्थान राज-पत्र | RAJ BIL/2000/1717<br>RAJASTHAN GAZETTE |
| --- | --- |
| विशेषांक | *Extraordinary* |
| साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |

सत्यमेव जयते

ज्येष्ठ14, मंगलवार, शाके 1924—जून 4, 2002
*Jyaistha 14, Tuesday, Saka 1924—June 4, 2002*

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

**राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।**

# राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

के

## परिनियम

**जयपुर, जून 1, 2002**

**जी. एस. आर. 32:-1. परिभाषायें:**-इन परिनियमों में, जब तक विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) 'अधिनियम' से राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 अभिप्रेत है, एवं

(ख) 'अधिकारियों', 'प्राधिकारियों', 'आचार्यों', (प्रोफेसर) 'सह-आचार्यों' (रीडर) 'सहायक आचार्यों, (लैक्चरार), 'लिपिक वर्गीय कर्मचारियो एवं सेवकों' से विश्वविद्यालय के क्रमशः 'अधिकारी', 'प्राधिकारी',-'आचार्य', (प्रोफेसर) 'सह-आचार्य' (रीडर), सहायक आचार्य (लैक्चरार), लिपिक वर्गीय कर्मचारी एवं सेवक अभिप्रेत हैं।

2. **कार्य परिषद् की बैठकें:**-कार्य परिषद् की बैठक सामान्यतया प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार तथा अन्य समय पर जब कुलपति द्वारा बुलाई जाये, आयोजित की जाएगी। कार्य परिषद के निर्धारित सदस्यों के 1/3 सदस्य संख्या से गणपूर्ति होगी।

3. **विद्या परिषद् की बैठकें**:-विद्या परिषद् की बैठक वर्ष में एक बार, तथा अन्य समय पर जब कुलपति द्वारा बुलाई जाये, आयोजित की जाएगी । आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

4. **संकायों की बैठकें**:-संकायों की बैठक सामान्यतया वर्ष में एक बार तथा अन्य समय पर जब कुलपति की सहमति से संकाय के अधिष्ठाता या उनकी ओर से कुलसचिव द्वारा बुलाई जाए, आयोजित की जाएगी । आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

5. **उपाधियों एवं उपाख्याओं ( डिप्लोमा ) का प्रत्याहरण**:-कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की संस्तुति पर, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई से अन्यून सहमति से पारित प्रस्ताव द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि, उपाख्या (डिप्लोमा) या किसी सम्मान को प्रत्याहृत कर सकेगी । किन्तु उपाधि के प्रत्याहरण के पूर्व उसके कारणों को आवश्यक रूप से अभिलिखित किया जाएगा ।

6. **मानद उपाधियों का प्रत्याहरण**:-विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई भी मानद उपाधि कार्य परिषद् के उपवेशन में उपस्थित एवं मत देने वाले दो तिहाई सदस्यों के पूर्व अनुमोदन तथा कुलाधिपति की स्वीकृति से प्रत्याहृत की जा सकेगी, किन्तु उपाधि के प्रत्याहरण के पूर्व उसके कारणों को आवश्यक रूप से अभिलिखित किया जाएगा ।

7. **विश्वविद्यालय के शिक्षक**:-विश्वविद्यालय के ऐसे आचार्य पदों, सह आचार्य पदों (रीडरों), सहायक आचार्य पदों (प्राध्यापकों) एवं विश्वविद्यालय के अन्य अध्यापन पदों का, जिन्हें विद्या परिषद की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए; सृजन किया जाएगा । विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा शर्तें परिलब्धियां तथा कर्त्तव्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

8. **विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों का चयन/नियुक्ति**:-विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों का चयन/नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, (1974 का सं. 18) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगी ।

9. **विश्वविद्यालय–निधियां**:-विश्वविद्यालय की निधियां कार्य परिषद् द्वारा प्रशासित की जायेंगी । ये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय स्वायत्त शासन या अन्य निकाय के अभिदाय, सहायता या अनुदान से प्राप्त धन या अन्य स्त्रोतों से विश्वविद्यालय को हुई प्राप्तियों से गठित होंगी ।



10. **वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे**:-(क) वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे तथा तुलन पत्र वित्त अधिकारी एवं अन्य कृत्यकारियों के परामर्श से कुलसचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक वित्त समिति के माध्यम से कार्य परिषद् को प्रस्तुत किए जायेंगे ।

(ख) इनकी किसी एक सनदी लेखाकार द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी ।

(ग) आगामी वित्तयी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन वित्त अधिकारी एवं अन्य कृत्यकारियों से परामर्श कर कुलसचिव द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी के अन्त तक वित्त समिति के माध्यम से कार्य परिषद् को प्रस्तुत किए जायेंगे ।

11. **वित्त–समिति**:-(क) कार्य परिषद् को वित्त के मामलों में सलाह देने के लिए एक वित्त समिति होगी ।

(ख) विश्वविद्यालय का एक वित्त अधिकारी होगा, जो विश्वविद्यालय की निधियों के वित्तीय प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(ग) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(i) कुलपति (अध्यक्ष)

(ii) कार्य परिषद् द्वारा उसके सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक वित्तीय मामलों का जानकार होगा ।

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले दो से अनधिक विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों के ऐसे अध्यक्ष जो ऊपर उपखण्ड (II) के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व न किए गये संकायों से सम्बन्धित हों ।

(iv) वित्त सचिव, राजस्थान सरकार या उसका नामनिर्देशिती जो उप-सचिव के पद से नीचे का न हो ।

(v) सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार या उसका नामनिर्देशिती जो उप-सचिव के पद से नीचे का न हो ।

(vi) विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी, सदस्य सचिव ।

वित्त समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी । तथापि, वित्त समिति के नाम निर्देशित सदस्य नामनिर्देशन करने वाले प्राधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे ।

(घ) वित्त समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(i) वार्षिक बजट अनुमानों की परीक्षा करना तथा उस पर कार्य परिषद् को सलाह देना,

(ii) विश्वविद्यालय के लेखों तथा लेखा परीक्षा सम्बन्धी आपत्तियों तथा उनके उत्तरों की समीक्षा करना, एवं

(iii) विश्वविद्यालय के समस्त वित्त सम्बन्धी मामलों में एवं विश्वविद्यालय के विकास कार्यक्रमों में कार्य परिषद् को सिफारिश करना।

(ङ) कुलपति वेतन भत्ता एवं भविष्य निधि अंशदान (पी. एफ. कंन्ट्रीब्यूशन) से सम्बन्धित शीर्षकों को छोड़कर एक बजट शीर्षक से अन्य विभिन्न शीर्षकों में पुनर्विनियोग की स्वीकृति दे सकेगा।

12. **स्वास्थ्य एवं आवास** बोर्ड:-विश्वविद्यालय में एक स्वास्थ्य एवं आवास बोर्ड शामिल होगा, जिसका गठन एवं कार्य अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

13. **परीक्षकों का चयन**:-(1) किसी परीक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी विषय में परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा, जब तक कि उसने:-

(क) उस परीक्षा के स्तर पर कम से कम तीन वर्ष उस विषय को नहीं पढ़ाया हो, तथा उस विषय में वह पांच वर्ष के अध्यापन का अनुभव नहीं रखता हो, या

(ख) सम्बन्धित परीक्षा के स्तर का उस विषय में परीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त न कर लिया हो,

परन्तु यह कि-() सम्बन्धित विषय का 3 वर्ष का कुल अध्यापन अनुभव रखने वाले किसी एक आन्तरिक व्यक्ति को सिद्धान्त (थ्योरी) के लिए सह-परीक्षक या अवस्नातक परीक्षा हेतु प्रायोगिक (यदि होई विहित किये गये हों) के लिए परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। समस्त पात्र आन्तरिक व्यक्तियों की सूची के समाप्त होने के बाद जब और अधिक परीक्षकों की आवश्यकता हो तथा () जहां प्रायोगिक परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आन्तरिक परीक्षक को कोई पारिश्रमिक संदेय नहीं हो और अपेक्षित न्यूनतम अध्यापन-अनुभव रखने वाला कोई शिक्षक संस्था में उपलब्ध न हो, तो तीन वर्ष से कम के अध्यापन-अनुभव रखने वाला कोई शिक्षक संस्था में उपलब्ध न हो, तो तीन वर्ष से कम के



अध्यापन-अनुभव रखने वाले शिक्षक को भी सम्बन्धित प्राचार्य की सिफारिश पर प्रयोगिक परीक्षाओं के लिए आतंरिक परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा:

परन्तु उन विषयों में जिनमें उपरिवर्णित अर्हताएं रखने वाले परीक्षक उपलब्ध न हों, तो सम्बन्धित विषय/अनुशासन (डिसिप्लिन) के सुप्रसिद्ध विद्वानों/विशेषज्ञों को परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

**स्पष्टीकरण**:-विधि द्वारा स्थापित किसी भारतीय विश्वविद्यालय में या विद्या परिषद् की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित किसी ऐसी संस्था में अध्यापन या परीक्षकत्व के अनुभव को ही इस उप-परिनियम के प्रयोजन के लिए संगणित किया जाएगा।

(2). (क) प्रत्येक अध्ययन बोर्ड एक नामिका तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(i) समस्त अर्हता प्राप्त आन्तरिक परीक्षक, एवं

(ii) उतने बाह्य परीक्षक, जो विश्वविद्यालय की अधिस्नातक परीक्षा सहित समस्त परीक्षाओं के समस्त विषय के लिए 5 वर्ष की अवधि तक परीक्षायें कराने हेतु आवश्यक हो।

परीक्षक चयन समिति नामिका से परीक्षकों का चक्रानुक्रमशः चयन करेगी तथा नामिका से बाहर के व्यक्ति को तब तक परीक्षक नियुक्त नहीं किया जायेगा-जब तक कि उसमें अन्तर्विष्ट व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो रहा है या वह ड्रेस में इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(ख) सामान्यतया परीक्षक नामिकाओं को प्रतिवर्ष परिशोधित किया जावेगा तथा पूर्व नामिकाओं के ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें गत 5 वर्ष की अवधि में परीक्षक के बतौर कार्य करने का अवसर नहीं मिला है, परिशोधित नामिकाओं में अन्यों के मुकाबले वरीयता दी जावेगी।

(ग) यह उप-परिनियम डॉक्टरेट डिग्री के परीक्षकों पर लागू नहीं होगा।

(3) (क) निरन्तर तीन वर्ष परीक्षक के रूप में कार्य करने के बाद उस व्यक्ति को पुनः परीक्षक नियुक्त किए जाने से पूर्व कम से कम एक वर्ष का अन्तराल रखा जाएगा। तथापि, आन्तरिक परीक्षकों के मामले में इस शर्त को शिथिल किया जा सकेगा, जबकि समस्त अर्हता पात्र आन्तरिक व्यक्तियों की नामिका समाप्त हो जाए तथा और अधिक परीक्षकों की आवश्यकता पड़ती हो अथवा सम्बन्धित विषय/अनुशासन (शास्त्र) में परीक्षक उपलब्ध न हो:

परन्तु इन व्यक्तियों में से, जिन्होंने किसी भी एक वर्ष में सह-परीक्षक के रूप में कार्य किया है, आगामी वर्ष के लिए केवल आधे व्यक्तियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) किसी विशेष परीक्षा के लिए किसी विशेष प्रश्न पत्र में एक ही महाविद्यालय या संस्था से एक से अधिक व्यक्तियों को परीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह शर्त स्नातकोत्तर परीक्षाओं के मामले में, जहां आवश्यक हो, शिथिलनीय होगी।

(5) किसी भी व्यक्ति को जो स्वयं विश्वविद्यालय की किसी लिखित परीक्षा में बैठने का इरादा रखता है, विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के लिए परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को परीक्षक नियुक्त कर दिया जाता है, तो वह कुलसचिव को तुरन्त इस आशय की सूचना देगा कि वह उक्त प्रकार परीक्षा देना चाहता है।

**टिप्पणी**:-उपर्युक्त प्रतिबन्ध उपाख्या (डिप्लोमा)/प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) पाठ्यक्रम परीक्षा में बैठने वाले शिक्षकों के मामले में लागू नहीं होगा।

(6) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी परीक्षा के लिए, जिसमें उसका कोई निकट का सम्बन्धी उस वर्ष बैठने का इरादा रखता है, किसी विषय में प्रश्न-पत्र निर्माता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न-पत्र निर्माता उसकी नियुक्ति किए जाने के बाद, यथाशक्य शीघ्रतया कुलसचिव को यह संसूचित करेगा कि क्या उसका कोई सम्बन्धी उक्त परीक्षा में बैठने का इरादा रखता है।

(7) विश्वविद्यालय में वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के लिए किसी परीक्षक को आवंटित की गई, उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या तीन सौ से अधिक नहीं होगी, परन्तु यह कि पूरक परीक्षाओं के मामले में यह संख्या दो सौ से अधिक नहीं होगी।

(8) (क) प्रत्येक परीक्षा में एक से अधिक प्रश्न-पत्र वाले विषय में कम से कम बाह्य प्रश्न-पत्र निर्माता (पेपर सैटर) होगा।

(ख) प्रायोगिक परीक्षा के लिए जहां आवश्यक हो, आन्तरिक परीक्षक, सम्बन्धित संस्थाओं के उन अध्यापकों में से नियुक्त किए जाने चाहिएं, जो सम्बन्धित विशेषीकरण के क्षेत्र में प्रायोगिक कक्षायें ले रहे हैं। नियुक्त किए गए व्यक्ति को सम्बन्धित शाखा में न्यूनतम पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिए। यदि किसी शाखा में ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो विभागाध्यक्ष को आन्तरिक परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा।



(9) कार्य परिषद्, परीक्षक चयन समिति की सिफारिश पर लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के बाद, अपवादात्मक मामलों में उप-परिनियम (4-8) के उपबन्धों को अधित्यजन कर सकेगी।

**स्पष्टीकरण**:-इन परिनियमों में जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, 'परीक्षक' में 'सह-परीक्षक' भी शामिल है।

14. **सम्बद्ध महाविद्यालय प्रबन्धन**:-(1) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय एक 'लोक शैक्षिक संस्थान' होगा।

(2) सम्बद्ध महाविद्यालय की समस्त निधियों का प्रयोग उसके स्वयं के शैक्षिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा तथा ऐसे महाविद्यालय, जो सरकार द्वारा प्रबन्धित नहीं हैं, पूर्ण रूप से नियमानुसार गठित शासी निकाय द्वारा नियन्त्रित होंगे। शासी निकाय में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, प्राचार्य तथा अध्यापन कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित कम से कम एक अध्यापक सदस्य शामिल होगा। शासी निकाय के गठन से सम्बन्धित नियम वे होंगे, जो महाविद्यालय के उचित प्रबन्धन का सुनिश्चियन करेंगे।

**विशेष**:-विश्वविद्यालय के नाम निर्देशिती की पदावधि तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए होगी तथा जो व्यक्ति एक बार नियुक्त किया गया है, पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा। छः वर्षों के अंतराल के बाद वही व्यक्ति नाम निर्देशन के लिए पुनः पात्र हो सकेगा।

(3) शासी निकाय/प्रबन्धन के संविधान में किया गया कोई भी परिवर्तन कार्य परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

(4) महाविद्यालय का प्राचार्य महाविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) प्रत्येक गैर सरकारी महाविद्यालय, उस महाविद्यालय में प्राचार्य के अध्यापन पद पर तथा अन्य अध्यापन पदों पर नियुक्तियां विज्ञापन के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार तथा निम्न निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। परन्तु यह कि यदि कोई उच्चतर पद पदोन्नति से भरा जाना हो, तब वही चयन समिति पदोन्नति समिति समझी जाएगी तथा सभी पदोन्नतियां उक्त समिति की सिफारिश पर की जावेंगी। परन्तु यह कि यदि कोई उच्चतर पद पदोन्नति से भरा जाना हो, तब वही चयन समिति पदोन्नति समिति

समझी जाएगी तथा सभी पदोन्नतियां उक्त समिति की सिफारिश पर की जाएंगी । चयन/पदोन्नति समिति के सदस्यों को कम से कम एक पखवाडे पूर्व सूचना दी जाएगी ।

(क) प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे:-

(1) महाविद्यालय की प्रबन्धन समिति का सभापति या उप सभापति;

(2) प्रबन्धन समिति का एक नामनिर्देशिती,

(3) राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती जो शिक्षाविद् हो (केवल सरकार से सहायता/ अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की दशा में); एवं

(4) राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की दशा में दो शिक्षाविद् तथा राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले महाविद्यालयों की दशा में तीन शिक्षाविद् कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी, परन्तु उसमें कम से कम दो शिक्षाविद् उपस्थित होना आवश्यक हैं ।

(ख) प्राचार्य के अतिरिक्त अन्य समस्त अध्यापन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नानुसार नौ से अनधिक सदस्य होंगे:-

(1) महाविद्यालय की प्रबन्धन समिति का सभापति या उप-सभापति ।

(2) प्रबन्धन समिति का एक नाम-निर्देशिती ।

(3) महाविद्यालय का प्राचार्य ।

(4) राज्य सरकार का एक नाम निर्देशिती (केवल सरकार से सहायता/अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की दशा में) ।

(5) प्रबन्धन समिति द्वारा नियुक्त दो विषय-विशेषज्ञ (कुलपति द्वारा अनुमोदित नामिका से) ।

(6) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि, एवं



(7) महाविद्यालय का संबंधित विभागाध्यक्ष/सम्बन्धित विषय का वरिष्ठतम शिक्षक बशर्ते कि वह किसी महाविद्यालय में कम से कम 15 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखता हो, जिसमें उसने उसी संस्था में कम से कम पांच वर्ष तक प्राध्यापक पद पर सेवा पूर्ण की हो ।

पाँच सदस्यों से गणपूर्ति होगी, परन्तु उसमें कम से कम एक विषय-विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक है ।

**विशेष**:-विश्वविद्यालय के नामनिर्देशिती की अवधि तीन शैक्षणिक वर्ष होगी एक बार नियुक्त व्यक्ति पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा ।

(ग) उपर्युक्त पैरा (क) तथा (ख) में संदर्भित चयन समिति प्रबन्धन समिति को सूचित करेगी । यदि प्रबन्धन समिति शिफारिश स्वीकार कर लेती है तो वह नियुक्तियाँ करेगी और यदि असहमत होती है तो वह नयी सिफारिश के निवेदन के साथ चयन समिति को मामला वापस भेजेगी । प्रबन्धन समिति, चयन समिति की सिफारिशों पर उसके द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को सूचित करेगी ।

(6) प्रत्येक विद्यालय में महाविद्यालय प्रशासन में प्राचार्य के परामर्श के लिए यथाविधि गठित एक महाविद्यालय परिषद् होगी, जिसमें शैक्षिक स्टाफ का उचित प्रातिनिध्यि होगा ।

(7) कोई भी संबद्ध संस्था विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी विषय/संकाय को बन्द नहीं कर सकेगी ।

ऐसी अनुमति के लिए एक आवेदन-पत्र संस्था के अध्यक्ष द्वारा कुलसचिव को दिया जाएगा, जो प्रस्ताव के समर्थन में कारणों को बतलाते हुए कम से कम एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष पूर्व प्रबन्धन समिति द्वारा विधिवत् अग्रेषित किया जाएगा ।

(8) प्रत्येक महाविद्यालय, जो सरकार द्वारा प्रबन्धित नहीं है, महाविद्यालय के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता के संबंध में कार्य परिषद् का समाधान सावधिक जमाओं/या उसका संधारण करने

वाले व्यक्ति या निकाय के वचनबन्ध के रूप में करेगा और यह कि महाविद्यालय संस्थायी तौर पर कायम किया गया है तथा यदि कभी महाविद्यालय के संचालन के लिये शासी निकाय असमर्थ रहेगा तो न्यूनतम एक पूर्ण शैक्षिणिक वर्ष के पूर्व कार्य परिषद् को सूचित करेगा ताकि कार्य परिषद् महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिये प्रशासक की नियुक्ति या अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध कर सके।

(9) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसे रजिस्टरों एवं अभिलेखों का संधारण करेगा जो अध्यादेशों (आर्डिनेन्सेज) द्वारा विहित किये जायेंगे तथा ऐसी सांख्यिकीय एवं अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा, जिसे विश्वविद्यालय समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगा।

(10) प्रत्येक महाविद्यालय कार्य परिषद् द्वारा निश्चित दिनांक तक प्रतिवर्ष महाविद्यालय का पिछले वर्ष का कार्य प्रतिवेदन, जिसमें स्टाफ या प्रबन्धन में परिवर्तन की परिस्थितियों, विद्यार्थियों की संख्या, आय एवं व्यय का विवरण तथा अन्य सूचना जो आवश्यक हो, का समुचित उल्लेख होगा, विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा।

15. **अनुदेश**:-प्रत्येक महाविद्यालय ऐसी परीक्षाओं तथा ऐसे विषयों की तैयारी के लिये शिक्षा देगा, जिनके लिए वह कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किया जायेगा।

16. **शैक्षिक दक्षता**:-प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय को एतदर्थ आश्वस्त करेगा कि वह छात्रों की शिक्षा, आन्तरिक परीक्षा, प्रोन्नति, शैक्षिक मार्गदर्शन तथा अन्य समस्त मामलों में, जिनके लिये मान्यता चाही गयी है या प्राप्त है, के प्रयोजनार्थ शैक्षणिक दक्षता का एक सन्तोषप्रद स्तर संधारित किए हुए है।

17. **व्यवस्थापन एवं प्रबन्धन**:-प्रत्येक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को आश्वस्त करेगा कि वह सभी अपेक्षाओं में उपयुक्त रूप से व्यवस्थापित है तथा संचालित है।



18. **अध्यापन स्टाफ**:-(1) प्रत्येक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का इससे समाधान करेगा कि प्रत्येक विषय में उसके अध्यापन कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी अर्हताएं समुचित हैं, तथा विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्धारित नियमों के अनुसार हैं, एवं यह कि उनकी परिलब्धियां एवं सेवा की शर्तें वे हैं, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हैं।

(2) प्रत्येक महाविद्यालय छात्र-शिक्षक अनुपात ऐसा बनाये रखेगा, जो अध्यादेशों द्वारा विहित न्यूनतम संख्या से न्यून नहीं होगा तथा सम्पूर्ण शैक्षणिक परिवीक्षण के लिये पर्याप्त होगा।

(3) महिला महाविद्यालय का स्टाफ-जहां तक संभव हो, महिलाओं का होगा।

(4) गैर सरकारी महाविद्यालय में प्रत्येक शिक्षक को एक लिखित संविदा के अध्यधीन नियोजित किया जायेगा, जिसमें उसकी सेवा की शर्तों का तथा उसे दिए जाने वाले संवेतन का उल्लेख होगा, तथा उस संविदा की एक प्रति शिक्षक को दी जाएगी तथा एक प्रति विश्वविद्यालय की अभिरक्षा में रखी जाएगी।

(5) किसी सम्बद्ध गैर सरकारी महाविद्यालय तथा अध्यापक सदस्यों, जिनमें प्राचार्य भी शामिल है, के मध्य किसी संविदा के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद या मतभेद को मध्यस्थ के लिए निर्देशित किया जायेगा तथा सहायता-अनुदान अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर उसे अवधारित किया जाएगा।

(6) प्रत्येक महाविद्यालय, जो सरकार द्वारा प्रबन्धित नहीं है, महाविद्यालय के अध्यापन स्टाफ के लाभार्थ कार्य परिषद् द्वारा विनिर्धारित नियमों के अनुसार एक प्रावधायी निधि का संधारण करेगा।

(7) संबद्ध महाविद्यालय द्वारा कदाचार के लिये सेवा से बरखास्त (डिसमिस्ड) किये गये किसी शिक्षक को कुलपति की लिखित में पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय में नियोजित नहीं किया जाएगा।

19. **विद्यार्थियों का प्रवेश**:-प्रत्येक महाविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश इस सम्बन्ध में अध्यादेशों/नियमों द्वारा विनिर्धारित शर्तों के अध्यधीन होगा।

20. **अवधि एवं अवकाश**:-प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अवधियों एवं अवकाशों का अनुसरण करेगा।

21. **महाविद्यालय का शुल्क (फीस)**:-प्रत्येक संघटक महाविद्यालय में सभी प्रकार के वे ही शुल्क वसूल किये जायेंगे, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्धारित किये जाएंगे।

22. **स्थान/सुविधा एवं उपस्कर**:-प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय को आश्वस्त करेगा कि उसके भवन, फर्नीचर, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय के उपकण तथा अन्य समस्त उपस्कर/साजसामान सन्तोषप्रद हैं।

23. **पुस्तकालय**:-प्रत्येक महाविद्यालय अपने पुस्तकालय की पर्याप्तता तथा उसकी पुस्तक अवदान एवं सूचीकरण पद्धति की उपयुक्तता के बारे में विश्वविद्यालय को आश्वस्त करेगा।

24. **अनुशासन, स्वास्थ्य एवं निवास**:-(1) प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय का समाधान करेगा कि महाविद्यालय एवं छात्रावास में उचित अनुशासन संधारित किया हुआ है।

(2)प्रत्येक महाविद्यालय, माता-पिता या मान्य सरंक्षक के साथ नहीं रहने वाले विद्यार्थियों के आवास के लिये पर्याप्त प्रावधान करेगा, तथा अपने विद्यार्थियों के शारीरिक व्यायाम एवं स्वास्थ्य के लिए समुचित सुविधाएं प्रदान करेगा तथा चिकित्सकीय परीक्षण (जांच) एवं आवासीय देखभाल के लिए एक कुशल प्रणाली को काम में लेगा। महाविद्यालयों या उनके छात्रावासों में निवास विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(3) प्रत्येक महाविद्यालय एवं उसके छात्रावासों का स्वास्थ्य एवं निवास के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं आवास बोर्ड या कार्य परिषद् की ओर से निरीक्षण किया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक महाविद्यालय, जो पुरुष विद्यार्थियों की तरह महिला विद्यार्थियों को भी प्रवेश देता है, उसे महिला विद्यार्थियों के लिए अलग से विश्रान्तिकक्ष तथा अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करानी होगी।

25. **निरीक्षण एवं मान्यता**:-(1) प्रथम बार या अस्थायी/अन्त:कालीन सम्बन्धन की अवधि में वृद्धि के लिए या अतिरिक्त विषयों में या अध्ययन के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए या स्थायी सम्बन्धन के लिए आवेदन करने वाला महाविद्यालय, उचित माध्यम से अध्यादेशों के अध्यधीन यथाविहित आवश्यक शुल्क के साथ उस शैक्षणिक वर्ष से, पूर्व जिससे मान्यता प्रभावित होनी है, अधिकतम 31 दिसम्बर तक एक लिखित आवेदन पत्र कुलसचिव को देगा तथापि उसके बाद किन्तु अधिकतम 30 अप्रैल तक भी आवेदन पत्र को विचारार्थ ग्रहण किया जा सकेगा। बशर्ते कि विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के संतोष के लिये विशेप विधिमान्य कारण दिये गये हों तथा आवेदन पत्र के साथ 1000/- रुपये का विलम्ब शुल्क लगाया गया हो। अनन्तिम सम्बन्धन की वृद्धि के लिए या अस्थाई



सम्बन्धन के लिए आवेदन पत्र को 30 अप्रैल के बाद किन्तु अधिकतम शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने की तिथि तक भी विश्वविद्यालय के विवेकाधीन विशेप मामले के बतौर में स्वीकार किया जा सकेगा, बशर्तें कि वह रुपये 3000/- (तीन हजार) विलम्ब शुल्क के साथ प्रस्तुत किया गया हो।

(2) मान्यता आवेदन को तत्प्रयोजनार्थ संस्था का निरीक्षण किए जाने से पूर्व किसी भी समय प्रत्याहृत किया जा सकेगा।

(3) मान्यता किसी भी दशा में भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकार नहीं की जाएगी।

(4) कार्य परिषद् प्रत्येक महाविद्यालय के आवधिक निरीक्षण के लिये प्रावधन करेगी, तथा किसी भी समय वह निरीक्षण करवा सकेगी।

(5) कार्य परिषद् को महाविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी मामले में जांच करवाने की शक्ति प्राप्त होगी। प्रत्येक मामले में जांच करवाये जाने के आशय की सूचना महाविद्यालय के प्रबन्धन को दी जाएगी तथा प्रबन्धन उसमें प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए अधिकृत होगा।

(6) कार्य परिषद् पूर्वोक्त (4 व 5) खण्डों के अधीन किए गए निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप किसी मामले पर संबंधित महाविद्यालय को ऐसी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे सकेगी, जो विनिर्दिष्ट की जायेगी और महाविद्यालय निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से यथा निर्देश कार्यवाई करेगा।

(7) कार्य परिषद् की उचित जांच के बाद, किसी महाविद्यालय को जो कि परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा विहित या मान्यता देने के दिनांक को या उसके बाद किसी दिनांक को कार्य परिषद् द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुसार संचालित नहीं किया जाता है, तो महाविद्यालय की दी गयी मान्यता को प्रत्याहृत करने की शक्ति प्राप्त होगी। कार्य परिषद् ऐसी प्रत्येक जांच में महाविद्यालय को उपस्थित होने एवं महाविद्यालय की ओर से अभ्यावेदन करने के लिए आवश्यक रूप से अवसर प्रदान करेगी तथा वह ऐसे प्रत्येक अभ्यावेदन अपनी सम्मति अभिलिखित करेगी।

(8) कार्य परिषद् को निरीक्षण के बाद किसी भी विषय या अध्ययन पाठ्यक्रम की मान्यता को प्रत्याहृत करने की शक्ति प्राप्त होगी।

26. **निरीक्षक**:-(1) महाविद्यालयों के निरीक्षण बोर्ड एक नामिका में से, जो बोर्ड द्वारा बनाई जाएगी एवं प्रतिवर्ष परिशोधित की जाएगी, निरीक्षकों को

नियुक्त करेगा । नामिका में निम्नलिखित होंगे:-

(क) स्नातक महाविद्यालयों के लिए:-

(1) विश्वविद्यालय के आचार्य एवं सह आचार्य,

(2) स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य,

(3) सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्ष एवं

(4) स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का कम से कम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिक्षक, जिसमें स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लिए:-

(1) विश्वविद्यालय के या किसी मान्य भारतीय विश्वविद्यालय के आचार्य (प्रोफेसर) ।

(2) विश्वविद्यालय से या किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य, एवं

(3) विश्वविद्यालय का सह-आचार्य (रीडर)

**विशेष:**-अपवादात्मक मामलों में ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जा सकेगा, जिन्होंने उक्त पदों को धारण किया हो ।

(2) निरीक्षण बोर्ड द्वारा बाहर भेजे जाने वाले निरीक्षकों की संख्या निम्न प्रकार से सीमित होगी:-

(क) **स्नातक महाविद्यालय:-**

(1) **नवीन सम्बन्धन के लिए:**-प्रत्येक संकाय के लिये एक व्यक्ति, किन्तु किसी भी माले में दो से कम नहीं ।

(2) **अतिरिक्त विषयों में सम्बद्धन के लिए:**-प्रत्येक संकाय के लिए एक व्यक्ति ।

(ख) **स्नातकोत्तर विषयों में सम्बन्धन के लिए:**-प्रत्येक विषय के लिए एक व्यक्ति ।

(ग) **आवधिक निरीक्षण के लिए:**-स्नातक महाविद्यालयों एवं केवल एक संकाय में स्नातकोत्तर कार्य कर रहे महाविद्यालयों के लिए दो व्यक्ति, एक से अधिक संकायों में स्नातकोत्तर कार्य करने वाले महाविद्यालयों के लिए तीन व्यक्ति एवं अनुमोदित संस्थाओं के लिए दो व्यक्ति ।



27. **अनुसंधान केन्द्र:**-(1) **अनुसंधान केन्द्र** निम्नलिखित इकाईयों से गठित होगा ।

(क) अनुसंधान-बोर्ड

(ख) प्रकाशन एवं भाषान्तरण बोर्ड

(ग) संग्रहालय-एवं-निक्षेपागार

(घ) प्रौद्योगिकी इकाई, जिसमें माइक्रोफिल्मिंग, कम्पयूटराईजेशन एवं फोटो कॉपिंग आदि शामिल हैं ।

(2) **अनुसंधान केन्द्र के कृत्य निम्नलिखित होंगे:**-(1) विश्वविद्यालय में अनुसंधान की व्यवस्था एवं समन्वय करना ।

(2) अभिनव ज्ञान की सर्जना, नवीन अन्तर्दृष्टि विकसित करना, तथा पारम्परिक लीक से हटकर व्यापक चिन्तन एवं उत्कर्ष के अधिगम की संस्कृति को प्रोन्नत करना ।

(3) भारत के प्राचीन ज्ञानकोष में गहन अनुसंधान करने के लिए तथा उसे समसामयिक यथार्थता से सुसम्बद्ध करने के लिए भारतीय विद्या (इण्डोलॉजी), वैदिक, नैगमिक, आगमिक एवं शास्त्रीय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य पर विशेष जोर देना ।

(4) पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन तामिल एवं ग्रीक, लातिन, हिब्रू आदि जैसी अन्य श्रेण्य भाषाओं में भारतीय एवं विदेशी दोनों गहन अध्ययन की व्यवस्था करना । इसका दुहरा प्रयोजन निम्न प्रकार होगा:-

(क) इन भाषाओं में सम्मिलित ज्ञान एवं अनुभव की प्रमाणिकता एवं सुसंगतता को समकालीन वैज्ञानिक विचार एवं प्रौद्योगिकीय विकास के साथ सिद्ध करना ।

(ख) विभिन्न भाषाओं, लिपियों एवं बोलियों के बीच सामान्य एवं विभेदक विशेषताओं को ज्ञात करना इससे भारतीय संस्कृति के आंकलन में तथा विश्वसंस्कृति की स्थापना में भी मदद मिलेगी ।

(5) सामाजिक एवं सास्कृतिक, विकास, रचनात्मकता एवं सुसम्बद्धता तथा अन्तरानुशासनिक अनुसंधान में गहन अध्ययन को प्रोत्साहन देना ।

(6) अधिकतम सामाजिक एवं आर्थिक, लाभों के लिये अनुसंधान के प्राथमिकता क्षेत्रों को परिचिह्नित करना ।

(7) अपव्यय के अवरोधन तथा कर्मकौशल में सुधार लाने हेतु अपने स्वयं के कार्यसमुच्य (नेटवर्क) से एक समंक आधार (डाटा बेस) तैयार करना ।

(8) सह अनुसंधान में सहकारिता के क्षेत्रों को तलाशना ।

(9) विद्यावारिधि शोधोत्तर उच्चतर अनुसंधान करने तथा निगूढ ज्ञान भण्डार के अन्वेषण एवं प्रकटीकरण के लिये प्राच्य विद्याओं के निष्णात विद्वानों को, उनकी मनीषा एवं विद्वत्ता का समग्र उपयोग करने के प्रयोजन से विशेष संवर्गों के रूप में सहसंबद्ध करने की व्यवस्था करना ।

(10) सुदृढ़ कार्य पद्धति से आवधिक एवं सामयिक मूल्यांकन द्वारा अनुसंधान की गुणवत्ता का निरन्तर परिनिरीक्षण करते रहना ।

(11) सभी शास्त्रीय (क्लासिकल) भाषाओं के दुर्लभ ग्रन्थों, उपयोगी प्रकाशनों एवं पाण्डुलिपियों के एक पुस्तकालय का निर्माण करना, एवं

(12) आधुनिक एवं नवीनतम संयंत्रों/संसाधनों (एप्लायेंसेज) से सुसज्जित एक रिप्रोग्राफी एवं मुद्रण संभाग विकसित करना ।

(3) **अनुसंधान बोर्ड**:-(क) अनुसंधान केन्द्र में एक अनुसंधान बोर्ड होगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(1) कुलपति (अध्यक्ष)

(2) विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग का वरिष्ठतम आचार्य ।

(3) संकायों के अधिष्ठाता ।

(4) अनुसंधान केन्द्र का निदेशक । (सचिव)

एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी । कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का वरिष्ठतम आचार्य, जो उस बैठक में उपस्थित हो, अध्यक्षता करेगा ।

(ख) अनुसंधान बोर्ड की सिफारिशों की सूचना विद्या परिषद् के माध्यम से कार्य परिषद् को दी जायेगी ।

(4) **अनुसंधान बोर्ड के कार्य**:-अनुसंधान बोर्ड के कार्य निम्न होंगे:-

(1) अनुसंधान कार्य के लिए पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) के रूप में मान्यता देने हेतु न्यूनतम अर्हताओं की सिफारिश करना ।



(2) अनुसंधान पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता के लिए संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करना तथा उन पर सिफारिश करना ।

(3) अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन के लिए विश्वविद्यालय के बाहर के विशिष्ट व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करना ।

(4) जहां विषय/संकाय में परिवर्तन हो, विद्या वारिधि/विद्यावाचस्पति की उपाधियों के लिए पंजीयन के मामलों पर विचार करना ।

(5) विद्या वारिधि/विद्यावाचस्पति के शोधप्रबन्ध (थीसिस) के परीक्षकों के बीच मतभेद के मामलों तथा इस विषय में नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से नहीं आने वाली अन्य विशेष स्थितियों पर विचार करना ।

(6) अनुसंधान को प्रोन्नत करने तथा उसका उत्तम स्तर बनाए रखने के संबंध में विद्या परिषद् या कार्य परिषद् द्वारा उसे समनुदेशित किए गए अन्य कार्यों को निष्पादित करना ।

(5) **अनुसंधान केन्द्र का निदेशक**:-(1) अनुसंधान केन्द्र का निदेशक एक पूर्णकालिक संवेतन पाने वाला अधिकारी होगा, जो चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा प्रतिष्ठित अनुसंधानकर्ताओं में से जिनके कि उच्च-स्तरीय प्रकाशित कार्य हों, नियुक्त किया जाएगा । चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(क) कुलपति, (अध्यक्ष)

(ख) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए संस्कृत, पाली या प्राकृत के अनुसंधानकार्य में अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित विद्वान ।

(2) (क) निदेशक, विश्वविद्यालय के समस्त अनुसंधान प्रकाशनों का जिसमें विश्वविद्यालय में संस्कृत पाण्डुलिपियों (कैटलागिंग) को सूचीबद्ध करना भी शामिल है, पर्यवेक्षण करेगा ।

(ख) वह कार्य परिषद् द्वारा गठित एक सम्पादकबोर्ड के मार्गदर्शन के अधीन विश्वविद्यालय की अनुसंधान पत्रिका का सम्पदान करेगा ।

(ग) वह विश्वविद्यालय की (अनुसंधान उपाधियों के लिए व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुसंधान से सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त) अन्य समस्त अनुसंधानात्मक गतिविधियों पर कुलपति एवं विद्या परिषद् को एक त्रैमासिक प्रतिवेदन देगा ।

(6) **अनुसंधान केन्द्र के निदेशक के लिये अर्हताएं**:-अनुसंधान केन्द्र के निदेशक के लिये न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित होगी:-

(क) वेद-वेदांग, दर्शन, साहित्य एवं संस्कृति, श्रमण विद्या, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान या किसी अन्य सम्बद्ध क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रकाशित कार्य के साथ, एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, जो सक्रिय रूप से अनुसंधान कार्य में लगा रहा हो और जिसे किसी विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अध्यापन का तथा/अथवा अनुसंधानकार्य एवं विद्या वारिधि स्तर के अनुसंधान कार्य के लिये मार्गदर्शन करने का दस वर्ष का अनुभव हो।

या

(ख) वह विश्रुत एवं सुप्रतिष्ठित ऐसा उत्कृष्ट विद्वान होना चाहिये, जिसने ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

(ग) उक्त परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुसंधान केन्द्र का प्रथम निदेशक कुलपति की सिफारिश पर इस शर्त के अध्यधीन कि वह तीन वर्षों से अनधिक अवधि तक ही पद को धारण करेगा, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

(7) **प्रकाशन एवं भाषान्तरण बोर्ड**:-प्रकाशन एवं भाषान्तरण बोर्ड में निम्नलिखित होंगे:-

(1) कुलपति (अध्यक्ष)

(2) संकायों के अधिष्ठाता,

(3) विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के चार अध्यक्ष, जो कि चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे।

(4) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष।

(5) कार्य परिषद् का एक नामनिर्देशिती।

(6) अनुसंधान केन्द्र का निदेशक (सदस्य सचिव)।

(8) बोर्ड के सदस्य तीन वर्ष के लिये पद धारण करेंगे। मृत्यु, त्याग पत्र आदि के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति को नामनिर्देशन से कार्य परिषद् द्वारा भरा जाएगा। इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य उस मूल सदस्य की जिसके स्थान पर वह पद ग्रहण करता है, शेष कालावधि के लिये पद धारण करेगा।



(9) बोर्ड एक वर्ष में कम से कम एक बार या जब कुलपति द्वारा बुलाई जाए एक बैठक करेगा। बोर्ड की बैठक के लिए पाँच सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(10) कुलपति बोर्ड का अध्यक्ष होगा तथा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षता करेगा।

(11) **प्रकाशन एवं भाषान्तरण बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे**:-
(1) विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त एवं सम्बद्ध संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों के एवं ऐसे अन्यों के जो विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रकाशन सहायता देने अनुसंधान कार्य में समाविष्ट किए जाने उनकी अनुसंधान तथा/अथवा भाषान्तरण/ प्रकाशन परियोजना आवेदन पत्रों पर विचार करना। इसके अतिरिक्त बोर्ड राजस्थान को प्रभावित करने वाली आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से सम्बन्धित अन्वेषण करने वाले बाहर के व्यक्तियों के आवेदन पत्रों पर भी विचार कर सकेगा। निर्धारित शर्तों पर उक्त के सम्बन्ध में अंतिम स्वीकृति हेतु सिफारिश कार्य परिषद् को की जाएगी।

(2) कार्य परिषद् की स्वीकृति से निम्नलिखित प्रकाशन कार्यों का जिम्मा लेना:-

(क) विश्वविद्यालय पत्रिका। (जरनल)

(ख) स्नातकोत्तर अध्ययनों एवं अनुसंधानों के ऐसे परिणाम, जिन्हें बोर्ड प्रकाशित करने का विनिश्चय करें।

(ग) कोई अन्य साहित्यिक या वैज्ञानिक कार्य, जो बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझा गया हो, एवं

(घ) पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन कार्य करें।

(3) विश्वविद्यालय में आयोज्य प्रसार-व्याख्यानों एवं परिसरेतर व्याख्यानों के लिए तथा उनके प्रकाशन के लिए समुचित प्रबन्ध करना।

(12) अनुसंधान केन्द्र दुर्लभ पाण्डुलिपियों, प्रदर्शों, दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्रियों, ज्ञान के समस्त क्षेत्रों से सम्बद्ध वीडियों कैसेट्स का एक आधारभूत भंडार तथा पुरातात्विक महत्त्व की मदों का एक संग्रहालय-एवं निक्षेपागार (डिपोजिटरी) सन्धारित करेगा।

(13) **संग्रहालय**:-संग्रहालय पाण्डुलिपियों एवं पुरातात्विक महत्व की सामग्री के अनुरक्षण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त संग्रहणालाध्यक्ष द्वारा प्रबन्धित होगा। संग्रहालय-एवं-निक्षेपागार का कार्य उपयुक्त अध्यादेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

**(14) प्रौद्योगिकी इकाई**:-प्रौद्योगिकी इकाई जिसमें माइक्रोफिल्मिंग कम्प्यूटीकरण एवं फोटोकॉपिंग शामिल हैं, अनुसंधान केन्द्र के एक अभिन्न अंग के रूप में तथा निदेशक अनुसंधान केन्द्र के निर्देशों के अधीन कार्य करेगी ।

(15) प्रौद्योगिकी इकाई के प्रबन्ध के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकीविद् पुस्तकालयाध्यक्ष होगा ।

**(16) प्रौद्योगिक इकाई के अधीन प्रभाग:-**

**प्रौद्योगिकी इकाई के अधीन निम्न प्रभाग होंगे:-**

(क) कम्प्यूटर प्रभाग: यह यू. जी. सी. द्वारा प्रारम्भ किये गए भारत के समस्त प्रमुख पुस्तकालयों को नेटवर्क में संयोजित करने वाले 'इनफ्लिबनेट' में भागीदारी करते हुए संसाधान-सहकार उपक्रम के साथ फ्लॉपी एवं डिस्क आदि की व्यवस्था इलेक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा करेगा ।

(ख) दृश्य-श्रव्य-प्रभाग: यह यथार्थ ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ भाषा शिक्षण को प्रोन्नत करने हेतु दृश्य एवं श्रव्य (आडियो एवं वीडियो) कैसेटों का एक आधारभूत संग्रह निर्मित करेगा और रखेगा ।

(ग) माइक्रोग्राफी प्रभाग: यह महत्वपूर्ण वृहत् संदर्भ ग्रन्थों की सी. डी. रोम का एक संमक आधारित संग्रह तैयार करेगा ।

(घ) माइक्रोफोर्म प्रभाग: यह आधुनिक साहित्य की सामयिक पत्रिकाओं, शोध प्रबन्धों (थीसिस) आदि का संग्रहण कर स्थान एवं अन्य व्यय की बचत करेगा ।

28. **उपाधियां (डिग्रीज्)**: (1) विश्वविद्यालय निम्नलिखित उपाधियां (डिग्रियां) प्रदान करेगा:-

| | |
|---|---|
| वेद वेदांग संकाय: | शास्त्री (स्नातक) ।<br>आचार्य (स्नातकोत्तर) ।<br>विद्यावारिधि (पी एच. डी.) ।<br>वाचस्पति (डी. लिट्.) । |



| | |
|---|---|
| दर्शन संकाय (दर्शनशास्त्र): | शास्त्री (स्नातक) ।<br>आचार्य (स्नातकोत्तर) ।<br>विद्यावारिधि (पी एच. डी.) ।<br>वाचस्पति (डी. लिट्.) । |
| साहित्य एवं संस्कृति संकाय: | शास्त्री (स्नातक) ।<br>आचार्य (स्नातकोत्तर) ।<br>विद्यावारिधि (पी एच. डी.) ।<br>वाचस्पति (डी. लिट्.) । |
| श्रमण विद्या संकाय: | शास्त्री (स्नातक) ।<br>आचार्य (स्नातकोत्तर) ।<br>विद्यावारिधि (पी एच. डी.) ।<br>वाचस्पति (डी. लिट्.) । |
| आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय: | शिक्षा शास्त्री (स्नातक) ।<br>शिक्षा आचार्य (स्नातकोत्तर) ।<br>विद्यावारिधि (पी एच. डी.) ।<br>वाचस्पति (डी. लिट्.) । |

(2) **अन्य पाठ्यक्रम**:-विश्वविद्यालय विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों से संबंधित ऐसी उपाख्या (डिप्लोमा) प्रमाण-पत्र एवं अन्य उपाधियों को प्रदान भी कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(3) **मानद उपाधियां**:-विश्वविद्यालय समय-समय पर ऐसे व्यक्तियों को जिनका अवदान ज्ञान की विभिन्न शाखाओं अथवा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा हो, ऐसी मानद उपाधियां प्रदान कर सकेगा, जिनका विनिश्चय कार्य परिषद् और कुलपति द्वारा किया जाए एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित किया जाए ।

29. **उपदान (ग्रेच्युटी)**:-उपदान से सम्बन्धित प्रावधान व होंगे जो राजस्थान सरकार के उपदान नियमों में अन्तर्विष्ट हैं ।

30. **पेंशन एवं सामान्य भविष्यनिधि**:-पेंशन एवं सामान्य भविष्यनिधि से सम्बन्धित प्रावधान वे होंगे, जो राजस्थान सरकार के पेंशन एवं सामान्य भविष्यनिधि नियमों में अन्तर्विष्ट हैं ।

31. **विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग/महाविद्यालयों में प्रवेश नामांकन आदि से संबंधित नियमों की प्रयोज्यता**:-सम्बद्ध महाविद्यालयों में

विद्यार्थियों के प्रवेश, नामांकन, अनुशासन, स्वास्थ्य एवं आवास, छात्रवृत्तियों, पदकों (मेडल्स) एवं पुरस्कारों तथा परीक्षाओं को विनियोजित करने वाले मामलों के समस्त विनियम, अध्यादेश एवं नियम यथावश्यक परिवर्तन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे अध्यापन विभागों एवं महाविद्यालयों पर लागू होंगे तथा सदैव से लागू हुए समझे जायेंगे तथा इन मामलों के लिये ऐसे अध्यापन विभाग या महाविद्यालय को एक सम्बद्ध महाविद्यालय समझा जायेगा तथा उसे सदैव सम्बद्ध महाविद्यालय के रूप में समझा जायेगा ।

32. **कुलपति की परिलब्धियां एवं सेवा की शर्तें**:-(1) कुलपति की परिलब्धियां एवं सेवा की शर्तें शासकीय अधिसूचना 1995 के अनुसार होंगी ।

(2) उसे ऐसे संवेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जायेगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

**विशेष**:-यदि कोई सेवानिवृत सरकारी अधिकारी कुलपति नियुक्त किया जाता है तो उसकी पेंशन एवं मृत्यु-निवृत्ति-उपदान (डैथ-कम-रिटायरमेंट-ग्रेच्युटी) के बराबर की राशि को उसके संवेतन में से समायोजित किया जायेगा ।

(3) उसे एक शासकीय निःशुल्क आवास प्रदान किया जाएगा, जो पूरी तरह सुसज्जित होगा ।

**विशेष**:-शासकीय आवास उपलब्ध नहीं होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा एक उपयुक्त वासगृह किराये पर लिया जाएगा तथा कुलपति को उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन किराये पर लिए गए भवन का मासिक किराया 10,000/- रुपया प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा ।

(4) शब्द 'पूर्णतया सुसज्जित' अध्यादेशों के अन्तर्गत परिभाषित किया जाएगा ।

(5) वह विश्वविद्यालय के प्रभावशील नियमों के अनुसार अवकाश, विश्वविद्यालय भविष्यनिधि तथा चिकित्सा व्यय पुनर्भरण के परिलाभों के लिये अधिकृत होगा ।

(6) वह प्रभावशील नियमों के अधीन निर्धारित की गई दर पर यात्रा एवं विश्राम भत्तों के लिए अधिकृत होगा ।

(7) वह ऐसे अन्य भत्तों एवं सुविधाओं के लिये अधिकृत होगा जो समय-समय पर अध्यादेशों द्वारा विनिश्चित की जायेगी ।



33. **विश्वविद्यालय की दीक्षान्त समारोह**:-(क) उपाधियां (डिग्रियां) प्रदान करने एवं स्वर्ण पदकों का पुरस्कार देने के लिए विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह, यथाशक्य, प्रतिवर्ष कुलपित द्वारा निश्चित किए गये दिनांक को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा । जब कार्य परिषद् द्वारा आवश्यक समझा जायेगा एवं विशेष दीक्षान्त समारोह भी आयोजित किया जा सकेगा ।

(ख) जब कुलपति का इससे समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह को समुचित कारणों से आयोजित नहीं किया जा सकता है तो डिग्रियां, डिप्लोमा एवं स्वर्ण पदकों/पुरस्कारों/ट्राफियां को दीक्षान्त समारोह आयोजित किये बिना प्रदान किया जायेगा ।

34. विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय का निगमित निकाय रहेगा ।

35. विशेष दीक्षान्त समारोह को छोड़कर विश्वविद्यालय के अन्य दीक्षान्त समारोहों के लिए सूचना कम से कम छह सप्ताह पूर्व दी जावेगी ।

36. कुलसचिव द्वारा इस सूचना के साथ विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह के प्रत्येक सदस्य को उसमें पालन की जाने वाली प्रक्रिया का एक कार्यक्रम जारी किया जायेगा ।

37. विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह एवं संस्थानों के दीक्षान्त समारोहों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

38. (1) उपाधियां/उपाख्यायें प्रदान करने के लिये किसी दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित पोशाक तथा सफेद रंग का सुनहरे रंग की बॉर्डर वाला एक स्कार्फ, केसरिया रंग का एक बैज, जिसमें विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह, दीक्षान्त समारोह का वर्ष एवं संकाय का नाम उत्कीर्ण होगा, तथा उसके साथ दो पट्टियां उपलब्ध करायी जायेगी जो संबंधित संकाय के रंग को बतलायेंगी:-

**पुरुषों के लिए**: सफेद धोती एवं सफेद कमीज/सफेद पायजामा या पेन्ट/कुर्ता या सफेद जोधपुरी कोट ।

**महिलाओं के लिए**: सफेद साड़ी एवं सफेद पायजामा/कुर्ता/ सफेद सलवार, सफेद कुर्ता एवं सफेद चुन्नी ।

(2) दीक्षान्त समारोह के अवसर पर कुलाधिपति, कुलपति, कुलसचिव एवं कार्य परिषद् के सदस्य निम्नलिखित पोशाक, सुनहरी रंग की चौड़ी किनारी वाले सफेद रंग का स्कार्फ तथा सैफ्रान (केसरिया) रंग का उसी प्रकार का बैज पहनेंगे जो अभ्यर्थियों के लिए ऊपर उल्लेखित किया गया है, लेकिन इसका आकार उससे बड़ा होगा तथा संकाय के रंग की दो पट्टियां (स्ट्रिप्स) होंगी:-

**पुरुषों के लिए:** सफेद जोधपुरी कोट या शेरवानी या कुर्ता, सफेद पेन्ट या धोती या पायजामा के साथ।

**महिलाओं के लिए:** सफेद साड़ी एवं सफेद ब्लाउज के साथ।

39. विश्वविद्यालय एवं संस्थानों दीक्षान्त समारोह के पूर्व कार्य परिषद् की बैठक में समस्त उपाधियों एवं उपाख्याओं का वितरण किया जायेगा। उपाधि (डिग्री) एवं उपाख्या (डिप्लोमा) पर वह दिनांक अंकित होगी, जिसको कार्य परिषद् उन्हें प्रदान करेगी।

40. **विश्वविद्यालय निकायों/प्राधिकरणों में निर्वाचन की प्रक्रिया:**-(क) कुलसचिव उस दिनांक से जिसको कोई रिक्ति (रिक्तियां) भरी जाएगी, कम से कम तीन माह पूर्व निर्वाचन की सूचना जारी करेगा तथा उस सूचना में उल्लेखित किये जाने वाले समय के भीतर उस सम्बन्ध में नामनिर्देशनपत्रों को मांगेगा। यह समय उस दिनांक से जिसको निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाती है, 15 दिन पूर्व से कम का नहीं होगा। यह सूचना कुलपति द्वारा चयनित समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।

(ख) निर्वाचन के दिनांक से कम से कम 50 दिन पहले कुलसचिव निर्वाचक नामावली को प्रकाशित करेगा, जिसमें उन सभी के नामों एवं पतों का उल्लेख किया जावेगा जो मतदान करने के लिए अर्ह हैं तथा उसमें नामावली के अंतिम प्रकाशन के समय से हुई कुलसचिव को सूचित किये गये परिवर्तनों को भी शामिल किया जाएगा। निर्वाचक नामावली की प्रतियां 100/- रुपये प्रति कॉपी उसके मूल्य के पूर्व भुगतान पर विश्वविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध होगी। यदि वह डाक से चाही गई है तो डाक व्यय अलग से संदेय होगा।

(ग) किसी निर्वाचन से ठीक पिचहत्तर दिनों की अवधि के दौरान किसी का भी नामांकन नहीं किया जायेगा, परन्तु यह कि कुलपति को यदि निर्वाचन के दिनांक से कम से कम स्पष्ट 25 दिन पूर्व कोई कमी या गलत प्रविष्टियां कुलपति के ध्यान में लाई जाती हैं, तो निर्वाचक नामावली को ठीक करने या नामों को जोड़कर परिवर्तित कर उसे अनुपूर्त करने की शक्ति प्राप्त होगी। कुलपति का निर्णय



अन्तिम होगा तथा निर्वाचक नामावली में किसी छूटी या गलत प्रविष्टि के कारण कोई भी निर्वाचन अवैध नहीं होगा।

41. उक्त परिनियमों में अन्तर्विष्ट प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्वाचन के परिणाम की अधिसूचना से तीन दिनों के भीतर यदि कुलपति के ध्यान में निर्वाचन के बारे में कोई विवाद/शिकायत लिखित में लाई जाती है तथा यदि कुलपति का इससे समाधान हो जाता है कि वह प्रथम दृष्ट्या जांच किये जाने का मामला है तो वह इस प्रयोजनार्थ एक समिति की नियुक्ति करेगा। जिसमें निम्न होंगे:-

(1) कुलपति या उसका नामनिर्देशित-अध्यक्ष;

(2) कार्य परिषद् का एक सदस्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(3) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान;

(4) एक विधि विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा; एवं

(5) कुलसचिव।

**विशेष**:-तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

बशर्ते कि ऐसे किसी विवाद या शिकायत की किसी सूचना को नहीं लिया जायेगा जो निर्वाचनों के परिणाम की अधिसूचना के दिनांक से तीन दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत की गई है। समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

42. (क) (आकस्मिक रिक्तियों के मामले तथा पदावधि एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए होने के मामले के सिवाय) सभी मामलों में जिनमें किन्हीं प्राधिकरणों/निकायों की बैठक में चुनाव आयोजित कराये जाते हैं उस बैठक की जिसमें चुनाव आयोजित किया जाना है, एक सूचना कुलसचिव द्वारा इस बैठक की दिनांक से कम से कम 30 स्पष्ट दिन पहले डाक प्रमाण-पत्र के अधीन सदस्यों के पास भेजी जायेगी। इस सूचना में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख किया जायेगा जिनमें आगामी छह माहों की अवधि या ऐसी समयावधि जो कुलपति द्वारा अवधारित की जायेंगी, के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों को शामिल किया जा सकेगा। नामनिर्देशन पत्र कुलसचिव को इस तरह भेजे जायेंगे कि वह बैठक के दिनांक से कम से कम 15 स्पष्ट दिन पूर्व उसके पास पहुंच जायेंगे। कुलसचिव इन नामनिर्देशनों की एक सूची डाक प्रमाण-पत्रों के अधीन संबंधित

प्राधिकरण के सदस्यों को बैठक के दिनांक से कम से कम 8 स्पष्ट दिन पूर्व भेजेगा। निर्वाचन के लिए इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता को उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में एक सूचना द्वारा, जो विश्वविद्यालय विभाग के अध्यक्ष या विश्वविद्यालय महाविद्यालय के या सम्बद्ध महाविद्यालय जैसी भी स्थिति हो, के प्राचार्य द्वारा उसके कार्यालय की मुहर के अधीन विधिवत् अनुप्रमाणित की जायेगी, इस तरह से प्रत्याहृत कर सकेगा कि वह बैठक के लिये निश्चित किये गये समय से पूर्व कुलसचिव के पास पहुंच सके। प्रत्याहरण करने की सूचना जो इन औपचारिकताओं एवं उपबंधों का अनुपालन नहीं करेगी, उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। कोई अभ्यर्थी भी मतदान किये जाने से पूर्व किसी भी समय बैठक में व्यक्तिगत रूप से अपनी अभ्यर्थिता को वापस ले सकेगा, जिस पर उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी को जिसने लिखित में या मौखिक रूप से अपनी अभ्यर्थिता प्रत्याहृत कर ली है, अपना प्रत्याहरण रद्द करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, परन्तु यह कि कुलपति अपने विवेक से निर्देश दे सकेगा कि नामनिर्देशनों को स्वयं बैठक में आमंत्रित किया जायेगा तथा इस दशा में जब बैठक की सूचना उस बैठक के दिनांक से कम से कम 15 स्पष्ट दिन पूर्व सदस्यों को भेजी जावेगी, तब उस बैठक का अध्यक्ष विनिश्चित किये जाने वाले तरीके से उस बैठक में नामनिर्देशन-पत्र (उसके बाद प्रत्याहरण) आमंत्रित करेगा।

(ख) यदि नामनिर्दिष्ट किये गये अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक है, तो उस बैठक में मतदान करवाया जायेगा तथा वह निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। नामनिर्दिष्ट किये गये व्यक्तियों के नामों वाले मत पत्रों को उस बैठक में दिया जाएगा। बैठक में उपस्थित सदस्य मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे। बैठक का अध्यक्ष उस समय को निर्धारित करेगा, जिसके दौरान मत पेटी मतपत्रों को प्राप्त करने के लिए खुली रहेगी तथा इस समय-सीमा की सूचना बैठक में मतदाता को दी जायेगी। मतपत्रों की जांच उस बैठक में उपस्थित सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाने वाले जांचकर्ताओं द्वारा की जायेगी। मतपत्रों की जांच करने के बाद अध्यक्ष चुनाव के परिणामों की उद्घोषणा करेगा तथा उन मतपत्रों को नष्ट कर दिया जायेगा। सभी मामलों में, अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा। जब दो या अधिक प्राधिकरण या निकाय कोई प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए संयुक्त रूप से अधिकृत हों तथा निर्वाचन किसी एक बैठक में होता है तो वह सदस्य जो दो या अधिक प्राधिकरण या निकायों के लिये सामान्य है, केवल एक मत देने के लिए अधिकृत होगा।



(ग) यदि वैध नामनिर्देशन-पत्रों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के बराबर है तो उक्त प्रकार से नामनिर्दिष्ट किये गये अभ्यर्थियों को निर्वाचित किया हुआ घोषित किया जायेगा तथा शेष रिक्तियों के लिए, उसी बैठक में यदि आवश्यक हो नए नामनिर्देशन-पत्र आमन्त्रित किए जाएंगे तथा निर्वाचन कराया जाएगा।

(घ) कोई भी निर्वाचन मतदाताओं की सूची में किसी गलत प्रविष्टि या लोप होने या किसी संसूचना के प्राप्त न होने या किसी मतदाता के बैठक में उपस्थित नहीं होने या मतदान में भाग नहीं लेने मात्र के कारण अवैध नहीं होगा।

43. जब बैठक में निर्वाचन नहीं कराये गये हों तो कुलपति उसे या तो डाक द्वारा या आगे परिनियम 44 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराने का विनिश्चय करेगा। यदि निर्वाचन डाक द्वारा कराया जाता है तो निर्धारित की गयी प्रक्रिया जहां तक सम्भव होगा, कुलपति के स्वविवेक पर अपनायी जायेगी।

44. (क) कुलसचिव प्रत्येक निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन नामावली तैयार करेगा, जिसमें मतदान करने के लिए अर्ह मतदाताओं के नाम व पते लिखे जाएंगे। विश्वविद्यालय अधिनियमों के उपबंधों के अधीन मतदाता होने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता से सम्बन्धित मामलों पर कुलपति का निश्चय अन्तिम होगा। निर्वाचक नामावली की प्रतियां प्रति कॉपी निश्चित किए गए मूल्य का पूर्वभुगतान करने पर विश्वविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध होंगी तथा यदि इसे डाक द्वारा चाहा जाएगा तो डाक व्ययों का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

(ख) यदि निर्वाचक नामावली में किसी लोप या गलत प्रविष्टियां मतदान के दिनांक से कम से कम 25 स्पष्ट दिन पूर्व कुलपति के ध्यान में लाई जाती है तो वह उस निर्वाचक नामावली को सही करने का या इसमें नाम जोड़ने, परिवर्तित करने या लोपित करने का अधिकारी होगा। कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा तथा कोई भी निर्वाचन, निर्वाचक नामावली में कोई लोप या गलत प्रविष्टि होने मात्र से अवैध नहीं होगा।

(ग) कुलसचिव निर्वाचन की एक सूचना जारी करेगा, जिसमें निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा तथा इस सूचना में उल्लेख्य समय के भीतर उस सम्बन्ध में नामनिर्देशन-पत्रों की मांग करेगा। यह समय इस दिनाक से जिसको सूचना जारी की गयी है, 15 दिनों से कम पूर्व की नहीं होगी।

(घ) कोई भी दो निर्वाचन नामावली में नामित किसी व्यक्ति को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे । ऐसा नामनिर्देशन डाक द्वारा नामनिर्देशन-पत्र भेजकर या विश्वविद्यालय कार्यालय में पूर्व विनिर्दिष्ट दिनांक को 4.00 बजे अपराह्न से पहले तक उसे सुपुर्द करके किया जा सकेगा ।

(ङ) नामनिर्देशन पत्र विहित प्रपत्र में होगा जो 5 रुपये प्रति नामनिर्देशन-पत्र का भुगतान करने पर कुलसचिव के कार्यालय से प्राप्त होगा । (यदि इसे डाक द्वारा चाहा गया तो डाक प्रभार अतिरिक्त होगा तथा इसकी राशि का कुलसचिव द्वारा नामनिर्देशन-पत्र आमंत्रित करने की सूचना में उल्लिखित की जायेगी) विधिवत् भरे गये नामनिर्देशनपत्र पर दो निर्वाचकों द्वारा तारीख लिंखी जायेगी एवं हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा उसमें दो हस्ताक्षरकताओं के नाम पूरे पते एवं पद सहित यदि कोई हो, दिये जाने चाहिए । इन दो हस्ताक्षरर्ताओं में से एक प्रस्तावक होगा तथा दूसरा उस प्रस्ताव का समर्थन करने वाला होगा । कोई भी निर्वाचक उस संख्या से ज्यादा प्रस्तावों का समर्थन नहीं करेगा, जिस संख्या के लिये उपरिवर्णित तरीके से प्रस्ताव करने एवं उसका समर्थन किये जाने के बाद निर्वाचन आयोजित किया गया है । उक्त प्रकार से नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति उस नामनिर्देशनपत्र पर अपनी सहमति अंकित करेगा । नामनिर्देशनपत्रों को आमंत्रित करने की सूचना में अपेक्षित संलग्नकों यदि कोई हो, के साथ नाम- निर्देशन पत्र को इस प्रकार भरकर कुलसचिव के कार्यालय से प्राप्त तत्प्रयोजनार्थ विहित एक बन्द लिफाफे में भेजा जायेगा जो कुलसचिव के पास विनिर्दिष्ट दिनांक तक 4.00 बजे अपराह्न से पूर्व पहुंच जाना चाहिए । किसी भी नामनिर्देशन पत्र को जो इन औपचारिकताओं एवं उपबन्धों की अनुपालना नहीं करेगा, रद्द कर दिया जायेगा ।

(च) नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए निश्चित किये गये दिनांक के बाद यथाशक्य शीघ्र, ऐसे समय एवं स्थान पर जो, कुलपति द्वारा निश्चित किया जायेगा, कुलपति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति उन नामनिर्देशनों की जांच करेगा । अभ्यर्थी या इस संबंध में लिखित में उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया उसका कोई अभिकर्ता उस जांच में उपस्थित होने के लिए अधिकृत होगा । जांचकर्ता/जांचकर्ताओं का विनिश्चय अन्तिम होगा जब तक कि कुलपति उन समस्त नामनिर्देशन-पत्रों को यदि उनकी राय में उनमें कुछ तकनीकी त्रुटि की गई है और यह निर्देश नहीं देते हैं कि नामनिर्देशन पत्र नये रूप में आमंत्रित किये जायेंगे । इस विषय में कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा ।



(छ) यदि वैध नामनिर्देशनों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के बराबर है तो उक्त प्रकार से नामनिर्दिष्ट किये गये अभ्यर्थियों को निर्वाचित किया हुआ घोषित किया जायेगा । तथापि, यदि वैध नामनिर्देशनों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कम है तो उक्त प्रकार नामनिर्दिष्ट किये गये व्यक्तियों को विधिवत् निर्वाचित किया हुआ समझा जायेगा तथा शेष रिक्तियों के लिए नये नामनिर्देशन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे ।

(ज) कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के विभाग के प्रधान या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालय के, जैसी भी स्थिति हो, प्राचार्य द्वारा अपने कार्यालय की मोहर के अधीन विधिवत् प्रमाणित अपने द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में एक सूचना द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा तथा प्रत्याहरण के लिये निश्चिय किये गये दिन को जो नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति के लिये अन्तिम तारीख के बाद 7 स्पष्ट दिन होंगे, अधिकतम 4.00 बजे अपराह्न तक कुलसचिव को सुपुर्द कर सकेगा । प्रत्याहरण की किसी भी ऐसी सूचना को जो इन औपचारिताओं/उपबंधों की अनुपालना नहीं करेगी, उपेक्षित किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी को जिसने अपनी अभ्यर्थिता प्रत्याहरित करली है उस प्रत्याहरण को रद्द कराने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(झ) कुलपति द्वारा निश्चित किये गये दिन व समय पर मतदान के लिये ऐसे समस्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालीय विभागों में प्रबन्ध किया जायेगा जहां मतदाता रहते हैं परन्तु यह कि स्थानीय मतदाताओं (अर्थात् जयपुर के मतदाताओं) के लिए मतदान की व्यवस्था एक या अधिक स्थानीय केन्द्रों पर की जा सकेगी तथा ऐसे मामलों में मतदान के लिए प्रक्रिया आदि का विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जायेगा ।

(ञ) सभी केन्द्रों पर मतदान कुलपति द्वारा निश्चिय किये गए किसी एक सामान्य दिवस तथा समय पर आयोजित किया जाएगा तथा कुलसचिव द्वारा अधिसूचित किया जाएगा । ऐसी अधिसूचना मतदान के लिए निश्चित किये गए दिन से कम से कम 20 स्पष्ट दिवस पूर्व जारी की जाएगी । कुलपति प्रत्येक केन्द्र पर एक पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करेगा, जो सम्बद्ध महाविद्यालय/संघटक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के विभाग का प्रधान, जैसी भी स्थिति हो, होगा तथा ऐसे मामले में जहां प्राचार्य/विभागाध्यक्ष स्वयं मतदाता हो कुलपति एक ऐसे वैकल्पिक व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा जो उस महाविद्यालय/विभाग से मतदाता नहीं है ।

(ट) कुलसचिव मतदान के दिन से कम से कम 12 स्पष्ट दिवस पूर्व समस्त पीठासीन अधिकारियों के पास पंजीकृत डाक से निम्न वर्णित निर्वाचन सामग्री भेजेगा:-

(1) मत पत्र जिसमें निर्वाचन क्षेत्र का नाम, अभ्यर्थियों के नाम तथा जहां सम्भव हों क्रम संख्या जिस पर अभ्यर्थियों के नाम निर्वाचक नामावली में प्रदर्शित हैं, दिए होंगे,

(2) छोटे लिफाफे,

(3) बड़े लिफाफे, जिनके बायें आधे भाग पर मतदाता की संख्या तथा पहचान करने के प्रमाण पत्र का एक प्रपत्र होगा तथा दायें आधे भाग पर शब्द 'कुलसचिव, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर' लिखे होंगे, एवं

(4) कोई अन्य कागजात जो तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक हों।

(ठ) यदि किसी पीठासीन अधिकारी को निर्वाचन सामग्री प्राप्त नहीं होती है तो वह मतदान के लिए निश्चित किए गए दिन से कम से कम 7 स्पष्ट दिवस पूर्व कुलसचिव को या तत्प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य अधिकारी को तार द्वारा सूचित करेगा। पीठासीन अधिकारी पर्याप्त समय रहते अग्रिम में निर्वाचन सामग्री की सुपुर्दगी तथा उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के बारे में सुनिश्चित करेगा। तथापि किसी भी निर्वाचन को किसी संसूचना के नहीं दिए जाने या निर्वाचन सामग्री सुपुर्द नहीं करने या किसी केन्द्र पर मतदान आयोजित नहीं करने के आधार पर अवैध नहीं समझा जाएगा।

(ड) पीठासीन अधिकारी मतदाता को महाविद्यालय/विभाग में उस सही स्थान के बारे में सूचित करेगा जहां मतदान कुलसचिव द्वारा अधिसूचित किए गए दिन व समय पर होगा। पीठासीन अधिकारी मतदान के संचालन को सुचारु ढंग से विनियमित करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह मतदान के संचालन में किसी मतदाता की कोई सहायता नहीं लेगा। मतदान के लिए निश्चित किए गए दिन व समय पर प्रत्येक मतदाता को, उसकी बारी आने पर मतदाता के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद एक मत पत्र, एक छोटा लिफाफा, एक अधिक बड़ा लिफाफा तथा ऐसी अन्य सामग्री, जो आवश्यक हो, दी जायेगी।

(ढ) मतदाता उस समय अपनी अधिमानता के क्रम में इसमें इसके बाद (ण) एवं (त) के अधीन दिए गये तरीके से चिन्हित करेगा तथा विधिवत् भरे गये (किन्तु मतदाता के नाम या हस्ताक्षर के बिना) मत पत्र को छोटे लिफाफे में रखेगा



तथा उसके लिफाफे को उसके फ्लैप पर गोंद चिपकाकार बंद करेगा। इसके बाद वह उस छोटे लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में डालेगा तथा उसे फ्लैप पर गोंद लगाकर उसे बन्द करेगा। इस पर मतदाता उस बड़े लिफाफे पर पहचान के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तथा उसके हस्ताक्षरों को पीठासीन अधिकारी के शासकीय पद की मुहर से उसकी उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी के द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा तथा वह उस बड़े लिफाफे को तत्स्थान पर ही पीठासीन अधिकारी को लौटा देगा।

(ण) (अ) प्रत्येक निर्वाचक एक संक्रमणीय मत रखेगा।

(ब) किसी निर्वाचक को अपना मत अभिलिखित करने में:-

(1) अपने मतपत्र पर (तत्प्रयोजनार्थ दिये गये खाली स्थान पर) उस अभ्यर्थी के जिसके लिये वह मतदान करता है, नाम के सामने '1' अंक रखना चाहिए।

(2) इसके अतिरिक्त वह उतने अन्य अभ्यर्थियों के लिये जिन पर वह प्रसन्न हो, उनके नाम के सामने सम्बन्धित 0, 2, 3, 4, 5 अंक तथा इस प्रकार सतत् संख्या क्रम में रखकर अपने प्रसादानुसार अपनी पसन्द या अधिमान के क्रम को निर्दिष्ट कर सकेगा; एवं

(3) उसे अभ्यर्थियों के नामों के सामने (तत्प्रयोजनार्थ दिये गये खाली खाने में) 1, 2, 3, 4 अंक लगाना चाहिए तथा उन्हें अभ्यर्थियों के नाम पर नहीं लगाना चाहिए।

(त) मतपत्र विधिअमान्य (अवैध) होगा, यदि

(1) अंक '1' जो अकेला एक प्रथम अधिमान को इंगित करता है, नहीं लगाया गया है, या

(2) अंक '1' जो अकेला एक प्रथम अधिमान को इंगित करता है, एक से अधिक अभ्यर्थियों के सामने लगाया गया है, या

(3) अंक '1' जो अकेला एक प्रथम अधिमान को इंगित करता है, तथा कुछ अन्य अंकों/शब्दों को भी उसी अभ्यर्थी के सामने लगाया गया है, या

(4) यह अवधारित नहीं किया जा सकता कि किस अभ्यर्थी के लिए मतदाता का प्रथम अधिमान अभिलिखित किया गया है, या

(5) मतदाता द्वारा अरेबिक अंक 1, 2, 3, 4 के अतिरिक्त अन्य किसी अंक (अंकों) को उपयोग अपनी अधिमानता को इंगित करने के लिये किया गया है, या

(6) कोई चिह्न (जिसमें कोमा-विराम (,) इनवर्टेड कोमा-उद्धरण चिह्न ("  ") वृत्त (0) आदि शामिल हैं) मतदाता द्वारा लगाया गया है, या

(7) मतदाता द्वारा कोई चिह्न या हस्ताक्षर किया गया हो, जिसमें वह पहचाना जा सके, या

(8) अधिमानता क्रम को सूचित करने वाले अंक 1, 2, 3, 4 अभ्यर्थियों के नामों पर (पूर्व में लगाये जाने के स्थान पर) बाद में लगाये गये हों एवं या

(9) मतदाता के अधिमान को इंगित करने वाले अंकों में कोई खरोंच या परिवर्तन हों।

(थ) यदि बड़े लिफाफे पर मतदाता के हस्ताक्षर एवं/या अपनी कार्यालयीय पद की मुहर के अधीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन नहीं किया गया है, तो उस लिफाफे की उपेक्षा की जायेगी तथा उसमें रखे गये मतपत्र को अवैध समझा जायेगा।

(द) यदि किसी मतदाता ने कोई मतपत्र खराब कर दिया है तो पीठासीन अधिकारी मतदाता से खराब किये हुए मतपत्र को प्राप्त कर, एक दूसरा मतपत्र जारी कर सकेगा।

(ध) मतदान के लिये निश्चित किये गये समय के समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी, मतदाताओं से उसके द्वारा संग्रह किये गये मतपत्रों वाले समस्त बड़े लिफाफे को उनसे भी और बड़े एक लिफाफे या पार्सल में बंद करेगा तथा उस पर विधिवत् मुहर लगी होगी एवं (अमुक निकाय का नाम) का निर्वाचन शब्द लिखे होंगे, तथा वह उसे उसी दिन या उसके अगले दिन केवल 200 रुपये के लिये बीमित डाक द्वारा 'कुलसचिव, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर' को या ऐसे अन्य अधिकारी के नाम पर जो तत्प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किया जायेगा, इस तरह भेजेगा कि वह मतपत्रों की जांच के लिये निश्चित दिवस एवं समय से पर्याप्त समय पूर्व उसके पास पहुंच जायेगा, पार्सल में एक पृथक् लिफाफा वह भी रखा जायेगा, जिसमें खराब किया हुआ मतपत्र यदि कोई हो, खाली उपयुक्त मतपत्र, मतदान के समय मतदाताओं से हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद की उनकी सूची तथा



मतदान के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को भेजी जाने के लिये अपेक्षित कोई अन्य निर्वाचन सामग्री/सूचना होगी।

(न) मतपत्रों की जांच के लिये सूचित किये गये दिनांक व समय की समाप्ति के बाद कुलसचिव द्वारा जो भी मतपत्र प्राप्त किये जायेंगे, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी निर्वाचन को मात्र किसी संसूचना को या मतपत्र वाला लिफाफा/पार्सल कुलसचिव को सुपुर्द नहीं किये जाने से अवैध नहीं समझा जायेगा।

45. **परीक्षा शुल्क**:-विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं, उपाधियों एवं उपाख्याओं आदि के लिये नियमित विद्यार्थियों से निम्नानुसार परीक्षा शुल्क वसूल किया जाएगा:-

| | | |
|---|---|---|
| **शास्त्री (स्नातक):-** | | |
| प्रथम भाग | - | 500/- |
| द्वितीय भाग | - | 535/- |
| तृतीय भाग | - | 595/- |
| **आचार्य (स्नातकोत्तर):-** | | |
| प्रथम भाग | - | 690/- |
| द्वितीय भाग | - | 750/- |
| **शिक्षा शास्त्री (स्नातक)** | - | 1125/- |
| **शिक्षाचार्य (स्नातकोत्तर)** | - | 1125/- |
| **विद्यावारिधि (पी. एच. डी.):-** | | |
| आवेदन-पत्र का शुल्क | - | 50/- |
| पंजीयन शुल्क | - | 100/- |
| परीक्षा शुल्क | - | 300/- |
| **वाचस्पति (डी. लिट्):-** | | |
| आवेदन-पत्र का शुल्क | - | 100/- |
| पंजीयन शुल्क | - | 200/- |
| परीक्षा शुल्क | - | 500/- |

46. निम्नलिखित के सम्बन्ध में निम्नलिखित अन्य शुल्कों का भुगतान किया जाएगा:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | परिणामों को घोषित करने पर छात्रों को अंक तालिकाएं सीधे तुरन्त वितरित करने के लिए अतिरिक्त शुल्क | 25/- |
| 2. | अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान करने के लिए शुल्क | 50/- |
| 3. | प्रव्रजन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शुल्क | 50/- |
| 4. | अस्थाई (प्रोविजनल) प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शुल्क | 50/- |
| 5. | पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शुल्क | 50/- |
| 6. | नामांकन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शुल्क | 50/- |
| 7. | नामांकन की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति जारी करने के लिए शुल्क | 50/- |
| 8. | आयु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शुल्क | 50/- |
| 9. | नाम में परिवर्तन या परिवर्धन के लिए शुल्क | 100/- |
| 10. | विश्वविद्यालय विभाग/महाविद्यालय द्वारा अन्तरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शुल्क | 25/- |
| 11. | उपाधि/उपाख्या प्रमाण-पत्र का अंग्रेजी रूपान्तरण जारी करने के लिए शुल्क | 100/- |
| 12. | निम्न की द्वितीय प्रतियां जारी करने के लिए शुल्क:- | |
| | 1. प्रव्रजन प्रमाण-पत्र | 50/- |
| | 2. चालू परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के साथ ही अंक तालिका के लिए शुल्क | 25/- |
| | 3. पिछले वर्षों की परीक्षाओं की अंकितालिकाएं | 25/- |
| | 4. प्रवेश पत्र | 15/- |
| | 5. पात्रता या नामांकन प्रमाण-पत्र | 15/- |
| | 6. उपाख्या या प्रमाण-पत्र या उपाधि | 50/- |
| 13. | कॉलेज में नहीं पढ़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण शिविर में यदि कोई हो, भाग लेने के लिये प्रति शिविर | 100/- |

प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम परीक्षा यदि कोई हो, का वह शुल्क होगा, जो स्नातक भाग प्रथम परीक्षा के लिए निर्धारित किया होगा।

उपाख्या पाठ्यक्रम परीक्षा यदि कोई हो, का शुल्क वही होगा, जो स्नातक भाग द्वितीय परीक्षा के लिए निर्धारित किया होगा।



**47.** पूर्व छात्रों एवं गैर महाविद्यालीय अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क प्रभार-नियमित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त 50/- रुपये।

पूर्व छात्रों तथा गैर महाविद्यालयीय अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार शुल्क और लिया जायेगा:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पूर्व छात्रों से आवेदन शुल्क | 50/- |
| 2. | गैर महाविद्यालयीय आवेदन शुल्क | 100/- |
| 3. | गैर महाविद्यीलयीय अभ्यर्थियों से पंजीयन शुल्क | 100/- |
| 4. | गैर महाविद्यीलयीय अभ्यर्थियों से विविध शुल्क | 100/- |

48. **परीक्षकों को पारिश्रमिक:-परीक्षकों को पारिश्रमिक** से सम्बन्धित प्रावधान वे होंगे जो इस सम्बन्ध में राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमों में दिए गए हैं।

49. **योजना एवं परिनिरीक्षण बोर्ड:**-(1) विश्वविद्यालय में एक आयोजना एवं परिनिरीक्षण बोर्ड होगा, जिसमें निम्न होंगे:-

(क) कुलपति (अध्यक्ष)

(ख) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो बाह्य विशेषज्ञ

(ग) समस्त संकायों के अधिष्ठाता

(घ) कार्य परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि

(ङ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के स्वयं के कार्मिकों में से शैक्षिक प्रगति एवं विकास में विशेष रुचि रखने वाले 3 व्यक्ति

(च) वित्त अधिकारी

(छ) कुल सचिव (सचिव)।

(2) बोर्ड की बैठकों में आवश्यकतानुसार विषय विशेष से संबंधित किसी भी व्यक्ति को कुलपति द्वारा विशिष्ट आमंत्रित के रूप में बुलाया जा सकेगा।

(3) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(4) बोर्ड की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

(5) बोर्ड की सिफारिशों को विद्या परिषद् के माध्यम से कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) उक्त बोर्ड की शक्तियां एवं कृत्य वे होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

[संख्या रासंविवि/शैक्ष./परि./2002/7397]

जी. बी. चतुर्वेदी,

**कुल सचिव**

**राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,**

**जयपुर (राज.)।**

---

*राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।*